निर्णय

दिनॉक 7/12/2020

अपीलाण्ट की ओर से उक्त अपील इस आशय की पेश की गई कि ग्राम बेरडो का बास के खसरा सख्या 61 रकबा 17 बीघा 06 बिश्वा, खसरा सख्या 68 रकबा 18 बीघा 17 बिश्वा, सयुक्त खातेदारी की भूमि में भोमा, खेराज, हरदान पिता उदा के नाम राजस्व रेकर्ड में वक्त सेन्टलमेन्ट से दर्ज थी स्व श्री खेराज का फौतेदगी का म्यूटेशन ग्राम

पंचायत ...

Scanned with CamScanner

पंचायत बेरडो का बास द्वारा दर्ज करते वक्त स्व श्री खेराजराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलाण्टगण का नाम दर्ज नही कर रेस्पोडेट सख्या 01 के दादा परमानन्द के नाम दर्ज कर दिया गया । स्व श्री परमानन्द पुत्र खेराजराम के देहान्त के पश्चात उपरोक्त भूमि रेस्पोडेट सख्या 01 के म्यूटेशन सख्या 631 राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत द्वारा दिनॉक 05.10.2008 को दर्ज कर अपीलाण्टगण को अपने हको से महरूम कर दिया गया जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गई जिसके आधार में बताया गया कि अधिनस्त न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व एवम वाक्याती मिसल के विरूद्व होने से काबिल ए खारिज के है अपीलाण्ट द्वारा अपील के आधार के पद सख्या 02 में खेराजराम उर्फ खिवराज का वंशावली वंशवृक्ष दर्शाया गया। जिसमें खेराजराम के एक पुत्र परमानन्द व दो पुत्रीयॉं अपीलाण्ट सख्या 01 व अपीलाण्ट सख्या 02 व 03 की माता कसुम्बी होना बताया। रेस्पोडेट सख्या 01 के दादा परमानन्द एवम उक्त म्यूटेशन भी इस अनुसार स्वीकृत करना कानूनी रूप से आवश्यक था क्योकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के तहत अपीलाण्ट प्रथम श्रेणी के वारिसान थे एवम अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में खेराज पिता उदा के स्थान पर फौतेदगी का म्यूटेशन मीरा पुत्री खेराजराम कसुम्बी पुत्री खेराजराम परमानन्द पुत्र श्री खेराजराम दर्ज करना चाहिए था परन्तु अधिनस्त न्यायालय ने अपीलाण्ट सख्या 01 मीरा का नाम दर्ज नही किया इसी प्रकार से अपीलाण्ट सख्या 02 व 03 की स्वर्गीय माता कसुम्बी दर्ज नही किया एवम अकेले रेस्पोडेट सख्या 01 के दादा परमानन्द का नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात नामान्तरकरण सख्या 631 स्व परमानन्द से रेस्पोडेट सख्या 01 अकेले के नाम से दर्ज किया गया । इस कारण से उक्त म्यूटेशन अपीलाण्ट के विरूद्व शुन्य आदेश है एवम काबिल ए निरस्त के है अधिनस्त न्यायालय ग्रम पंचायत बेरडो का बास द्वारा उपरोक्त म्यूटेशन स्वीकृत करते वक्त न तो अपीलाण्ट को नोटिस दिया गया और न ही स्व श्री खेराज के वरिसानो की जॉच की गई एवम न ही परमानन्द पुत्र खेराज के वारिसानो की जॉच की गई एवम अपीलाण्ट से बाले बाले रेस्पोडेट सख्या 01 के दादा परमानन्द पुत्र श्री खेराज के नाम से उक्त म्यूटेशन सख्या 631 स्वीकृत कर दिया गया । अपीलाण्ट को स्वर्गीय पिता श्री खेराजराम की सम्पति के हको से महरूम कर अधिनस्त न्यायल ने भारी कानूनी भूल की है उक्त म्यूटेशन में भूमि अपीलाण्ट सख्या 01 के पिता व अपीलाण्ट सख्या 02 व 03 के नाना स्व खेराज की खातदेरी से अकेले रेस्पोडेट सख्या 01 के पिता परमानन्द पुत्र खेराज के नाम दर्ज कर दी गई तत्पश्चात उपरोक्त म्यूटेशन के जरिये अकेले रेस्पोडेट सख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट सख्या 01 व अपीलाण्ट सख्या 02 व 02 का रस्पोडेंट सख्या 1 के बराबर बराबर हकदार है उक्त म्यूटेशन में स्व खेराज के वारिसान अपीलाण्ट सख्या 01 से 03 व

को रिमाण्ड किया जावे कि स्व श्री खेराज के वारिसानो की सही जॉच कर पुन म्यूटेशन पारित किया जावे। चूँकि धारा 05 परिसीमा अधिनियम का कोई जबाब रेस्पोडेट की ओर से पेश नही किया गया है इसलिए अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को हुबहु पढा जावे।

रस्पोडेट की ओर से दौराने बहस बताया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलाण्टगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही था वादर्गस्त भूमि पर कब्जा केवल मात्र रेस्पोडेट सख्या 01 के पूर्वज परमानन्द का था तथा तात्कालिक विधिक के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण सही स्वीकार किया गया है जिसे किसी भी आधार पर निरस्त करवाने के अधिकारी नही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट स्व श्री खेराज के वारिसान है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्टगण को खातेदारी अधिकारो से महरूम किया गया है इसलिए अपील को अन्दर म्याद सुमार किया जाता है अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 631 ग्राम पंचायत बेरडो का बास को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 631 ग्रम बेरडो का बास दिनॉक 05.10.2006 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्त न्यायालय तहसीलदार ओसियॉ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलाण्टगण तथा रेस्पोडेट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज भूमि की मौके पर कब्जे की वास्तविक जॉच कर पुन नामान्तरकरण की कार्यवाही करावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार ओसियॉ को पत्र जारी हो।

[illegible]
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 7/12/2020 को हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible]
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned with CamScanner